न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

पी0डी0एस0 अपील संख्या-13/2020

नरेश कुमार मोची, पिता-स्व0 मुनिश्वर राम,
जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत-पहुँसी,
प्रखंड-कुर्साकांटा, थाना-कुआड़ी
जिला-अररिया.....अपीलकर्त्ता

बनाम

बिहार राज्य.....विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
12.08.2021	जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या-01K/2018 को रद्द किये जाने संबंधी विद्वान अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के आदेश दिनांक 25.04.2020 के विरूद्ध बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-32 के अंतर्गत यह अपील दाखिल किया गया है। (2) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साबिर आलम को सुना। अपील आवेदन दिनांक-04.09.2020, अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त संबंधित निम्न न्यायालय अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कुर्साकांटा द्वारा दिनांक-03.04.2020 को कुछ असामाजिक व्यक्तियों के गलत सूचना के आधार पर अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली दूकान का स्थलीय जाँच किया गया। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कुर्साकांटा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के समक्ष स्थलीय जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-22, दिनांक-04.04.2020) समर्पित किया गया। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, कुर्साकांटा के जाँच प्रतिवेदन (पत्रांक-22, दिनांक-04.04.2020) के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक-487/आ0, दिनांक-07.04.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता से निम्नलिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक-11.04.2020 तक कारण-पृच्छा की मांग की गई। **अनियमितताएँ** 1. आपके द्वारा सूचनापट्ट संधारित नहीं किया जाता है, जो अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का सरासर उल्लंघन है। 2. आपके द्वारा नियमित रूप से खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण नहीं किया जाता है, जो आपके मनमाने रवैये को दर्शाता है। 3. आपके द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित मूल्य से अधिक पर किया जाता है, जो अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का सरासर उल्लंघन है। 4. आपके द्वारा लाभुकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, जो अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का सरासर उल्लंघन है। 5. आपके द्वारा लाभुकों का पर्ची निकाल लिया जाता है, जबकि लाभुकों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्त्ति नहीं की जाती है, जो आपके मनमाने रवैये को दर्शाता है। 6. आपके द्वारा स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है। 7. आपके पॉश मशीन के स्टॉक रिपोर्ट एवं विक्रेता के खाद्यान्न का भंडार करने पर सही नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी कर ली गई है, जो अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का सरासर उल्लंघन है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
12.08.2021	अपीलकर्त्ता की ओर से दिनांक-13.04.2020 को उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कंडिकावार कारण-पृच्छा जवाब अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के समक्ष समर्पित किया गया, जो निम्न प्रकार है- (1) यह आरोप बिल्कुल गलत है। सूचनापट्ट पर वांछित विवरणी अंकित किया जाता है। किसी बच्चे के द्वारा उसे मिटा दिया गया होगा। अब कभी भी ऐसी घटना दोहराई नहीं जायेगी। (2) विक्रेता द्वारा नियमित एवं निर्धारित अवधि तक दुकान का संचालन किया जाता है। किसी कारणवश अगर दूकान बंद की जाती है तो इसकी सूचना प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी एवं सूचनापट्ट पर दर्शा दी जाती है। विक्रेता के विरूद्ध लगाया गया यह आरोप बिल्कुल गलत है। (3) यह आरोप बिल्कुल निराधार है। विक्रेता द्वारा सभी लाभुकों को उचित मात्रा एवं उचित दर पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है। (4) विक्रेता के विरूद्ध लगाया गया यह आरोप कि लाभुकों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, यह बिल्कुल गलत एवं निराधार है। लाभुकों के द्वारा हीं विक्रेता का भरण-पोषण एवं किसी तरह रोजगार चलता है। (5) यह आरोप बिल्कुल निराधार है। सभी लाभुकों को निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर खाद्यान्न वितरण के साथ-साथ पर्ची भी दिया जाता है। विक्रेता पर लगाया गया आरोप राजनीति से प्रेरित होकर लगाया गया है। (6) दूकान पर उपस्थित प्रतिनिधि को स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी के बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण उनके द्वारा पंजी नहीं दिखाया गया। (7) विक्रेता के विरूद्ध लगाया गया यह आरोप कि पॉश मशीन एवं स्टॉक में जाँच की गई तो सही नहीं पाया गया, बिल्कुल गलत है। विक्रेता के गोदाम में सही मात्रा में खाद्यान्न रखा हुआ है। लेकिन, गोदाम में सभी बोरा की गिनती नहीं की गई, जिस कारण विक्रेता के विरूद्ध गलत आरोप लगा दिया गया है। विक्रेता के द्वारा प्रार्थना की गई कि उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करते हुए पुनः दुकान का संचालन करने का आदेश दिया जाय। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया ने अपने ज्ञापांक-526/आ0, दिनांक-21.04.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता के उक्त स्पष्टीकरण जवाब यह कारण दर्शाते हुए संतोषप्रद नहीं बताया तथा कहा गया कि आपके पॉश मशीन के स्टॉक रिपोर्ट एवं गोदाम मे भंडारित खाद्यान्न सही नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी कर ली गई है, जो अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का सरासर उल्लंघन है। अतएव 02 (दो) दिनों के अंदर द्वितीय कारण-पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक-526/आ0, दिनांक-21.04.2020 के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा जवाब दाखिल किया गया कि उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप बिल्कुल गलत है। विक्रेता के गोदाम में सही मात्रा में खाद्यान्न रखा हुआ है। लेकिन गोदाम में सभी बोरा की गिनती नहीं की गई। उनके द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी से पूर्ण जाँच कराई जाय। उनकी प्रार्थना है कि उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करते हुए पुनः दुकान का संचालन करने का आदेश दिया जाय। बावजूद	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
12.08.2021	विद्वान अनुज्ञापन पदाधिकारी, अररिया ने अपीलकर्त्ता को सुनवाई का मौका दिये बगैर अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति संख्या-01K/2018 को रद्द कर दिया गया, जो नियमानुकूल नहीं है। अपीलकर्त्ता एक गरीब अनुसूचित जाति का जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। अपीलकर्त्ता द्वारा कोई अनिमितता नहीं बरती गई है। अपीलकर्त्ता पर लगाये गये सारे आरोप मनगढ़ंत एवं गलत है। अपीलकर्त्ता निर्दोष है। अपीलकर्त्ता के परिवार के भरण-पोषण का एक मात्र आधार यह जन वितरण प्रणाली दूकान है। उनकी प्रार्थना है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी, अररिया के आदेश दिनांक 25.04.2020 को रद्द किया जाय तथा अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति संख्या-01K/2018 को पूर्ववत् बहाल करने का आदेश दिया जाय। (7) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा अपील आवेदन दिनांक-04.09.2020 एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकनोपरान्त इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि अपीलकर्त्ता पर लगाये गये अनियमितता संबंधी सभी आरोप अति गंभीर है। विक्रेता का प्रथम एवं द्वितीय कारण-पृच्छा जवाब संतोषप्रद नहीं है। अपितु मनगढ़ंत एवं गलत है। विद्वान अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या-01K/2018 को रद्द किये जाने के पूर्व सारी वैधिक प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया का आदेश दिनांक-25.04.2020 विधिसम्मत् है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नहीं है। अपील आवेदन दिनांक-04.09.2020 आधारहीन है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। तद्नुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के आदेश दिनांक-25.04.2020 में बिना किसी हस्तक्षेप के इस अपील आवेदन दिनांक-04.09.2020 को अस्वीकृत किया जाता है तथा इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 2111 /विधि, अररिया, दिनांक 17/9/2021 प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक-1226/आ0, दिनांक-29.12.2020 के क्रम में श्री नरेश कुमार मोची, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत-पहुंसी, प्रखंड-कुर्साकांटा से संबंधित मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुलग्नक :-यथोक्त। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया	